



Neutral Citation No. - 2026:AHC:58737

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 10088 वर्ष 2026

राम प्रताप पासवान

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

...विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता: भोलेश्वर, जैनैन्द्र कुमार राय

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से श्री रविंद्र कुमार सिंह, विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (जिसे आगे "बीएनएसएस" कहा गया है) की धारा 528 के तहत वर्तमान आवेदन, जिलाधिकारी, कुशीनगर द्वारा आपराधिक मामला संख्या 2429 वर्ष 2025 (राज्य बनाम राम प्रताप), जो मुकदमा अपराध संख्या 499 वर्ष 2025, उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण अधिनियम, 1955 की धारा 3/5-क/8 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11, थाना कसया, जिला कुशीनगर से उत्पन्न हुआ है, में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 16.12.2025 को रद्द करने के लिए दायर किया गया है।
3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि सूचना के आधार पर, आवेदक के वाहन टाटा पिकअप पंजीकरण संख्या यूपी60 सीटी3416 को 28.07.2025 को पुलिस कर्मियों द्वारा जब्त किया गया था और उन्होंने पाया कि इसमें कुछ गोवंश ले जाए जा रहे थे। यह भी संदेह है कि उक्त वाहन का उपयोग गोवंश के अवैध परिवहन में किया गया था। इसके बाद, दिनांक 28.07.2025 को थाना कसया, जिला कुशीनगर में, मुकदमा अपराध संख्या 499/2025 के तहत, उ.प्र. गौ-वध निवारण अधिनियम, 1955 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम, 1955' कहा गया है) की धारा 3/5क/8 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम, 1960' कहा गया है) की धारा 11 के अंतर्गत एक प्राथमिकी दर्ज की गई। आवेदक उक्त वाहन का स्वामी था। इसके बाद विवेचना अधिकारी द्वारा 07.08.2025 को जिलाधिकारी, कुशीनगर के समक्ष उक्त वाहन को कुर्क करने की प्रार्थना के साथ एक आवेदन दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा अधिनियम, 1955 की धारा 5-क(7) के तहत कार्यवाही शुरू की गई। आवेदक को नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ और उसके द्वारा आपत्ति दाखिल की गई, जिसके बाद जिलाधिकारी ने आगे की कार्यवाही करते हुए दिनांक 16.12.2025 को उक्त टाटा पिकअप वाहन संख्या यूपी60 सीटी3416 को कुर्क कर लिया।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. ज़िला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर द्वारा दिनांक 16.12.2025 को पारित आदेश से व्यथित होकर, आवेदक ने बीएनएसएस की धारा 528 के तहत यह आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें उक्त आदेश दिनांक 16.12.2025 को रद्द करने की प्रार्थना की गई है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक ने उक्त वाहन अपनी आजीविका के लिए खरीदा था और चालक जानवरों को मेले में ले जा रहा था। आवेदक का कथित अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। पुलिस ने प्राथमिकी में अवैध रूप से उसके चालक को अभियुक्त बना दिया है और वाहन पर किसी और ने स्वामित्व का दावा नहीं किया है और केवल आवेदक ही पंजीकृत स्वामी है और अतः वाहन उसके पक्ष में निर्मुक्त किया जाना चाहिए।

6. विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि बीएनएसएस की धारा 528 के तहत वर्तमान आवेदन विचारणीय नहीं है। आवेदक ने जिलाधिकारी के आदेश को गलत और अवैध तरीके से इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है। सरकारी अधिसूचना दिनांक 15.10.2024 के आलोक में, जिलाधिकारी द्वारा पारित कुर्की आदेश के विरुद्ध उपचार मंडलायुक्त के समक्ष उपलब्ध है।

7. विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने आगे बताया कि उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण अधिनियम, 1955 में कुर्की आदेश के विरुद्ध किसी उपचार का उल्लेख नहीं है। पूर्व में इस न्यायालय को एक समन्वय पीठ ने रिट याचिका संख्या 9028 वर्ष 2021 (मुस्तकीम बेगम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं तीन अन्य) में माना था कि अधिनियम में जिलाधिकारी द्वारा पारित कुर्की आदेश के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण का कोई मंच/प्राधिकारी नहीं है। इसके बाद, उपर्युक्त मामले में दिनांक 26.04.2024 के आदेश के माध्यम से यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसी परिस्थितियों में, सीआरपीसी की धारा 397 के तहत आपराधिक पुनरीक्षण के प्रावधान लागू होंगे और ऐसे आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में आपराधिक पुनरीक्षण दायर किया जा सकेगा। तत्पश्चात्, दिनांक 15.10.2024 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई। दिनांक 15.10.2024 की सरकारी अधिसूचना में यह निर्धारित किया गया था कि यदि अधिनियम, 1955 की धारा 5-क के तहत की गई कार्यवाही की वैधता या औचित्य को चुनौती दी जानी है, तो उसे मंडल आयुक्त के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। चूंकि उचित उपाय मंडल आयुक्त के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करना है, लेकिन आवेदक द्वारा ऐसा नहीं किया गया है, इसलिए धारा बीएनएसएस की धारा 528 के तहत प्रस्तुत वर्तमान आवेदन विचारणीय नहीं है।

8. इस न्यायालय की खंडपीठ ने, मुस्तकीम बेगम (उपरोक्त) के मामले का निर्णय करते हुए, रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 18, 19 और 20 में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की हैं।

"18. पीसीएसए की धारा 5-क अधिनियम के तहत प्रावधानों को परिभाषित करती है और अधिनियम के तहत जब्त किए गए वाहन और जानवरों या गाय के मांस की जब्ती और कुर्की की प्रक्रिया प्रदान करती है। यह जिलाधिकारी द्वारा पारित कुर्की के आदेश के खिलाफ अपील या पुनरीक्षण का कोई मंच प्रदान नहीं करता है। इसलिए, धारा 397 सीआरपीसी के तहत आपराधिक पुनरीक्षण के प्रावधान लागू होंगे। सीआरपीसी की धारा 397, जिला मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट के अधीन कार्य करने वाले अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय में आपराधिक पुनरीक्षण दायर करने का प्रावधान करती है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आक्षेपित आदेश के विरुद्ध उपचार प्राप्त करने के लिए सीआरपीसी की धारा 397 के तहत एक उपयुक्त और उचित मंच प्रदान किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस रिट याचिका के प्रावधान एक असाधारण क्षेत्राधिकार हैं, जिसका प्रयोग तभी किया जा सकता है जब याचिकाकर्ता किसी अन्य

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



मंच से उपयुक्त राहत प्राप्त न कर सके। याचिकाकर्ता द्वारा ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति नहीं दर्शाई गई है, जो उसे इस रिट न्यायालय से राहत प्राप्त करने का हकदार बनाती हो।

19. इस रिट याचिका में कोई मेरिट नहीं है और यह खारिज किए जाने योग्य है।

20. तदनुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।"

9. दिनांक 15.10.2024 की उपरोक्त अधिसूचना का सामना करने पर, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना की कि आवेदक को दिनांक 16.12.2025 के आक्षेपित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण दाखिल करने की अनुमति दी जाए और यह भी प्रार्थना की गई कि उपरोक्त परिस्थितियों में हुई देरी को भी क्षमा किया जाए।

10. अधिनियम, 1955, उत्तर प्रदेश राज्य में गाय और उसकी संतति के वध को रोकने के लिए एक अधिनियम है। अधिनियम, 1955 की धारा 5-क को निम्नानुसार पुनःउद्धृत किया जाता है:

"5-क. गाय आदि के परिवहन पर विनियमन - (1) कोई भी व्यक्ति किसी भी गाय, या सांड या बैल, जिसका उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान पर वध इस अधिनियम के तहत दंडनीय है, को राज्य के भीतर किसी भी स्थान से राज्य के बाहर किसी भी स्थान पर परिवहन नहीं करेगा या परिवहन के लिए प्रस्ताव नहीं करेगा या परिवहन का कारण नहीं बनेगा, सिवाय इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आदेश द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी परमिट के और ऐसे परमिट के नियमों और शर्तों के अनुसार।

(2) ऐसा अधिकारी प्रत्येक गाय, सांड या बैल के लिए [पाँच सौ रुपये] से अनधिक ऐसी फीस के भुगतान पर परमिट जारी करेगा जो निर्धारित की जाए:

बशर्ते कि जहाँ परमिट छह महीने से अनधिक की सीमित अवधि के लिए गाय, सांड या बैल के परिवहन के लिए हो, जैसा कि परमिट में निर्दिष्ट किया जा सकता है, वहाँ कोई फीस प्रभार्य नहीं होगी।

(3) जहाँ सीमित अवधि के परमिट पर गाय, सांड या बैल का परिवहन करने वाला व्यक्ति ऐसी गाय, सांड या बैल को परमिट में निर्दिष्ट अवधि के भीतर राज्य में वापस नहीं लाता है, तो यह माना जाएगा कि उसने उप-धारा (1) के प्रावधान का उल्लंघन किया है।

(4) परमिट का प्रारूप, उसके लिए आवेदन का प्रारूप और ऐसे आवेदन के निस्तारण की प्रक्रिया वैसी होगी जैसी निर्धारित की जाए।

(5) राज्य सरकार या इस संबंध में उसके द्वारा सामान्य या विशेष अधिसूचित आदेश द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी, किसी भी समय, इस धारा के तहत की गई कार्यवाही की वैधता या औचित्य के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से, किसी भी मामले का अभिलेख मंगवा सकता है और उसकी जांच कर सकता है और उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे।

(6) जहाँ उक्त वाहन का इस अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी या अधिकृत प्रयोगशाला द्वारा गोमांस से संबंधित होना पुष्ट किया गया है, वहाँ परिवहन से संबंधित चालक, परिचालक और स्वामी पर इस अधिनियम के तहत अपराध का आरोप लगाया जाएगा, जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि अपराध में प्रयुक्त परिवहन माध्यम का उपयोग, उसकी तमाम

सावधानियों के बावजूद और उसकी जानकारी के बिना, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध करने के लिए किया गया है।

(7) वह वाहन जिसके द्वारा इस अधिनियम और संबंधित नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में गोमांस या गाय और उसकी संतति का परिवहन किया जाता है, कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा कुर्क और जब्त किया जाएगा। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त कुर्की और विमुक्ति की सभी कार्यवाहियां करेंगे, जैसा भी मामला हो।

(8) जब्त वाहन द्वारा परिवहन की गई गाय और उसकी संतति या गोमांस को भी कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा कुर्क और जब्त किया जाएगा। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/आयुक्त कुर्की और विमुक्ति की सभी कार्यवाहियां करेंगे, जैसा भी मामला हो।

(9) जब्त गायों और उसकी संतति के रखरखाव पर होने वाला व्यय अभियुक्त से एक वर्ष की अवधि के लिए या उसके स्वामी के पक्ष में गाय और उसकी संतति की विमुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, वसूल किया जाएगा।

(10) जहाँ किसी व्यक्ति पर इस अधिनियम की धारा 3, 5 और 8 के तहत अपराध करने, दुष्प्रेरित करने या प्रयास करने के लिए मुकदमा चलाया जाता है और अभियुक्त के कब्जे में गोमांस या गाय के अवशेष होने की बात अभियोजन द्वारा सिद्ध कर दी गई है और परिवहन की गई चीजों का सक्षम प्राधिकारी या अधिकृत प्रयोगशाला द्वारा गोमांस होना पुष्ट कर दिया गया है, तो न्यायालय यह अनुमान लगाएगा कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसा अपराध या ऐसे अपराध का प्रयास या दुष्प्रेरण किया है, जैसा भी मामला हो, जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न हो जाए।

(11) जहाँ तलाशी, अधिग्रहण, निस्तारण और जब्ती के संदर्भ में इस अधिनियम या संबंधित नियमों के प्रावधान मौन हैं, वहाँ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के संबंधित प्रावधान प्रभावी होंगे।"

11. अधिनियम, 1955 की धारा 5-क विधि प्रवर्तन अधिकारियों को किसी भी ऐसे वाहन को जब्त करने के लिए अधिकृत करती है जिसके द्वारा अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में गोमांस या गाय और उसकी संतति का परिवहन किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त को कुर्की और विमुक्ति की सभी कार्यवाहियां करने के लिए अधिकृत किया गया है, जैसा भी मामला हो।

12. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, यह स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण अधिनियम, 1955 जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित जब्त वाहन के संबंध में कुर्की के आदेश के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण का कोई मंच प्रदान नहीं करता है। यह स्थापित कानून है कि यदि किसी पक्ष के विरुद्ध कोई न्यायिक या अर्ध-न्यायिक आदेश पारित किया जाता है, तो उसके पास अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए एक मंच होना चाहिए। किसी पक्ष को मझधार में नहीं छोड़ा जा सकता यदि उसके विरुद्ध ऐसा कोई आदेश पारित किया गया हो। आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 9028 वर्ष 2021 में पारित आदेश के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि उक्त आदेश 26.04.2024 को पारित किया गया था जब उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण अधिनियम, 1955 में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित कुर्की आदेश को चुनौती देने के लिए किसी पक्ष के पास ऐसा कोई मंच उपलब्ध नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि विधायिका की चूक के कारण उत्पन्न हुई उक्त कमी को बाद में दिनांक 15.10.2024 को एक अधिसूचना जारी करके सुधारा गया था।

13. मैंने उपरोक्त अधिसूचना का भी परिशीलन किया है जिसे यहाँ नीचे उद्धृत किया गया है:-

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



"उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग-9

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के प्रावधानों के अनुसरण में, राज्यपाल अधिसूचना संख्या यू.ओ./77/VI-पी-9-2024 दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 के निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद के प्रकाशन का आदेश देते हैं।

अधिसूचना

संख्या यू.ओ./77 यू.ओ.-VI-पी-9-2024

लखनऊ: दिनांक 15 अक्टूबर, 2024

उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण अधिनियम, 1955 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, वर्ष 1955) की धारा 5-क की उप-धारा (5) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, वर्ष 1904) की धारा 21 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल मंडलायुक्त को किसी भी समय उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण अधिनियम, 1955 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, वर्ष 1955) की धारा 5-क के तहत की गई कार्यवाही की वैधता या औचित्य के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने, किसी भी मामले का अभिलेख मंगवाने और जांच करने तथा उस पर ऐसा आदेश पारित करने के लिए अधिकृत करते हैं जैसा वह उचित समझें।

उपरोक्त शक्ति का प्रयोग मंडलायुक्तों के संबंधित जिलों की सीमा के भीतर किया जाएगा।

यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि मंडलायुक्त को प्रदत्त उपरोक्त प्राधिकार को पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के रूप में जाना जा सकता है।

आदेश से,

(राजेश कुमार)

सचिव।

हस्ताक्षरित द्वारा

राजेश कुमार

दिनांक: 15-10-2024 14:44:39"

14. उपरोक्त अधिसूचना के आलोक में, यह अत्यंत स्पष्ट है कि मंच/प्राधिकारी के संबंध में जो कमी विधायिका की चूक के कारण उत्पन्न हुई थी, उसे सुधार लिया गया है और उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण अधिनियम, 1955 में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित कुर्की आदेश के विरुद्ध केवल मंडलायुक्त के समक्ष ही पुनरीक्षण प्रभावी होगा। अतः, आवेदक के पास संबंधित मंडलायुक्त के समक्ष अपनी शिकायतों को रखने का प्रभावशाली उपचार उपलब्ध है।

15. इसलिए मैं इस आवेदन को इस स्वतंत्रता के साथ निस्तारित करना उचित समझता हूँ कि आवेदक इस न्यायालय के आदेश की तिथि से एक महीने के भीतर संबंधित मंडलायुक्त के समक्ष पुनरीक्षण दाखिल करके उचित मंच पर जा सकता है और यदि आवेदक इस न्यायालय द्वारा निर्देशित उचित मंच पर जाता है, तो संबंधित मंडलायुक्त परिसीमा के प्रश्न पर जाए बिना उसके पुनरीक्षण पर विचार करेंगे।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



16. यदि आवेदक द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर जिलाधिकारी, कुशीनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.12.2025 को चुनौती देते हुए संबंधित मंडलायुक्त के समक्ष पुनरीक्षण दाखिल किया जाता है, तो जिलाधिकारी, कुशीनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.12.2025 का निष्पादन पुनरीक्षण न्यायालय के अंतिम निर्णय तक प्रभावी नहीं किया जाएगा।

17. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, वर्तमान आवेदन निस्तारित किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

20 मार्च, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"